



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Central Bank of India

परिशिष्ट-N-क [(नियम ४(६) का परनुक देखें]
अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम ४(६) के परनुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का रचनात्मक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे उल्लिखित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बोरिंग रोड शाखा (प्रतिभूत लेनदार एवं संघ वित्त के तहत अग्रणी बैंक) की बकाया राशि एवं छ्याज तथा अन्य शुल्क की बसूली के लिए निम्नलिखित सम्पत्तियों को “जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है”, के आधार पर दिनांक ००/००/२०२१ को बेची जाएगी। प्रत्येक सम्पत्ति के लिए आरक्षित मूल्य एवं ईएमडी राशि नीचे दी गई है:

क्रं. सं.	शाखा का नाम कर्जदार/जमानतदार/बंधककर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि कब्जा सूचना की तिथि बकाया राशि (रु)	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य ईएमडी
1.	शाखा: बेतिया कर्जदार: प्रदीप ठाकुर एवं सुनीता देवी जमानतदार: शंकर ठाकुर	06.12.2018 30.04.2019 ₹ 32,06,619.00 मांग सूचना की तिथि तक + छाया एवं शुल्क	जमीन एवं भवन का साम्यिक बंधक - सेल डीड नं.-7506 सन् 2015 जो श्री प्रदीप ठाकुर पिता-स्व. गणेश ठाकुर के नाम से है जिसका खाता नं.-244, खेसरा नं.-1616, थाना नं.-129, रकवा 6 धुर, वार्ड नं.-13, बेन्धुपार, बेतिया, पश्चिम चम्पारण, चौहटी: उत्तर-6 फीट निजी रास्ता, दक्षिण-तेरस यादव, पूरब-निज मोकिर, पश्चिम-श्री निशांत कुमार	₹20,20,000/- ₹2,02,000/- ₹25,000/-

सुरक्षित लेनदार का जात भार.: शून्य।
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृप्या नीचे दिए गए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) की वेबसाइट, अर्थात् <https://centralbankofindia.co.in> या <https://libapi.in> में दिए गए लिंक को देखें।

नोट:- (१) बिक्री के तहत संपत्ति ऋण योग्य है और नियमों की पूर्ति के अधीन हमारे बैंक से ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है।
(२) यदि बैंक/अधिकृत अधिकारी नीलामी के दिनांक से छः (६) माह तक सम्पत्ति पर भौतिक कब्जा क्रेता को नहीं दे पाते हैं तो क्रेता के अनुरोध पर जमा राशि क्रेता को वापस कर दी जाएगी।

दिनांक : 03.11.2021
स्थान : बेतिया

नोट:- विवाद की स्थिति में अंगेजी पाठ मात्र होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया